रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 1989/भाद्र 6, 1911
No. 452] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 1989/BHADRA 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1989

सं. 40/89-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन-टी)

सा.का.नि. 790 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की

धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 46.01 या 63.01 के अन्तर्गत आने वाले वृत्ताकार करघों से भिन्न करघों पर विनिर्मित ऐथिलीन या प्रोपिलीन के बहुलकों या, यथास्थिति, उनके समुच्चय की ब्यूतित बोरियों पर उत्पाद शुल्क 20 नवम्बर, 1986 को प्रारंभ होने वाली और 6 जनवरी, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार प्रभार्य उत्पाद शुल्क के संबंध में जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ;

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि वृत्ताकार करघों से भिन्न करघों पर विनिर्मित ऐथिलीन या प्रोपिलीन के बहुलकों या, यथास्थिति, उनके समुच्चय की ऐसी ब्यूतित बोरियों की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त उत्पाद शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ।

[फा.सं. 63/1/87-सीएक्सः I]

एस. के. पंडा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1989

No. 40/89-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 790 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on woven sacks of polymers of ethylene or propylene or as the case may be, a combination thereof, manufactured on looms other than circular looms and failing under heading No. 46.01 or 63.01 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) was not being levied during the period commencing on the 20th November, 1986 and ending with 6th January, 1987 under the said section 3 read with any notification issued by the Central Government in relation to the duty of excise so chargeable during the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under the said Act, on such woven sacks of polymers of ethylene or propylene or, as the case may be, a combination thereof, manufactured on looms other than circular looms, shall not be required to be paid in respect of such woven sacks on which the said duty of excise was not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. : 63/1/87-CX : I]

S. K. PANDA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989